



# कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 954 /री०ए०डी०एम०/२०१७


इन्दौर, दिनांक /०४/२०१७

:: आदेश ::

21

( अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 )

अति० पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक पुअ/जिविशा/इंदौर/ 2017(315) दिनांक 12/04/2017 द्वारा अवगत कराये गये अनुसार व अन्य माध्यमों से ध्यान में लाया गया कि इन्दौर जिले में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियो एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण हो रहा है । इससे इन्दौर की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही हैं । इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है । पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराये गये अनुसार व मीडिया आदि के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक Face book Post के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी । कई बार विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य वाट्स एप पर डालने से भी आम जन की भावानयें आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हुई हैं । Face book, Whats App, Twitter आदि Social Internet Sites पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाली Comment/Like करने वाले पर किसी प्रकार दण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक Post से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आये Comment एवं Cross Comments के कारण होता है । Internet पर एक प्रकार "वैमनस्यता की अभिव्यक्ति" ऐसे Post के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है । इस प्रकार के Internet Social Media Wars अभी भी सक्रिय हैं जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है ।

  
District Magistrate,  
District-Indore (M.P.)

गत दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि Face book post एवं उस पर Comment/Likes, Whats App पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक Massage एवं उनकी Forwarding, Twitter पर साम्प्रदायिक Message आदि से लोक शांति भंग करने में 'Proximate and direct nexus' रखते हैं । यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने लिये उद्दीप्त( Incite) कर सकती है । इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में निकटस्थ एवं प्रत्यक्ष संबंध विहित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा विच्छिन्नीय(Disruptive) गतिविधियों के लिये किया जा सकता है । इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है । इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है । अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :-

इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, Message करने पर, साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding, Twitter, Face book, Whats App इत्यादि Social Media पर साम्प्रदायिक Message आदि करने से, Post पर Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है ।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथ इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

  
District Magistrate,  
District-Indore (M.P.)

संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा ।

यह आदेश दिनांक 21/04/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 22/04/2017 से दिनांक 19/06/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

( पी. नरहरि )

जिला दण्डाधिकारी,  
जिला इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक 21/04/2017

क्रमांक / /री.ए.डी.एम./ 2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ पूर्व/पश्चिम क्षेत्र, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. अपर कलेक्टर एवं अति० जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम/ग्रामीण क्षेत्र, इन्दौर
7. अति० पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / यातायात/ ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धित थानों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्रेषित ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड्डैल, कम्पेल, साँवेर, महू, देपालपुर, हातोद, सेन्द्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर ।
9. एस०डी०ओ०(पुलिस), महू, साँवेर, देपालपुर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्द्रल कोतवाली, संयोगितागंज, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, इन्दौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
12. थाना प्रभारी, थाना ..... जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
14. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,

जिला इन्दौर.

District Magistrate,  
District-Indore (M.P.)